

पत्रांक: ५-२ / सीएफओ-एमडीडी-(पेट्रोल पम्प)2015(रामपुर)

दिनांक: मई 7, 2015।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रामपुर।

विषय: ग्राम पहाड़ी तहसील सदर जनपद ^{रामपुर} मुरादाबाद के खसरा संख्या: 140 पर मैसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड लि० नौयडा के प्रस्तावित रिटेल आउटलेट(पेट्रोलपम्प) की स्थापना हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक: 1344/जे०ए०-२ दिनांक: 29-04-2015।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक/सन्दर्भित अपने पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे जिसके द्वारा प्रश्नगत स्थल पर रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा को गयी है।

उक्त प्रस्तावित स्थल का अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया व उपलब्ध कराये गये मानचित्रों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1-प्रश्नगत स्थल के सामने 12 मीटर चौड़ी रोड है, जो मानको के अनुसार है।

2-प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई भी विद्युत हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु पेट्रोलियम एक्ट-1934 तथा उसके रूल्स के अनुसार अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधान किये जाने अनिवार्य होंगे जो निम्नवत् है :-

1-45 लीटर क्षमता की 02 अदद मैकेनिकल फोम ट्राली।

2-ए०बी०सी० टाईप फायर एक्साटेग्यूशर क्षमता 10 किग्रा० के 04 अदद स्थापित कराये जाये।

3-नो स्मोकिंग बोर्ड स्थापित कराया जाये।

4-05-05 अदद सैण्ड फायर बकेट एवं वाटर बकेट स्थापित कराये जाये।

अतः प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) के निर्माण कार्य के लिये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता है।

1-प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट-1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स विषयक समय-समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लिखित विधि के अनुरूप।

2-प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार हाई/लो टेंशन विद्युत लाईन नही गुजारी जायेगी।


3-प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पेट्रोल पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नही किया जायेगा।

4- प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट स्थापित कराने के दौरान धूम्रपान निषेध बोर्ड, अग्निशमन केंद्र का टेलीफोन नम्बर व अग्निशमन संकेतक अंकित कराये जायेंगे।

5-पेट्रोल पम्प के निर्माण के उपरान्त स्थल पर किसी भी प्रकार के पदार्थों या स्थितियों आदि जो चिगारी आग उत्पन्न करते हैं, का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय किये जायेगे।

6-प्रस्तावित भण्डारण स्थल पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस०-1646:1982 तथा सम्बन्धित नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार काराई जानी अनिवार्य होगी।

कृ०प०प०.....


मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
मुरादाबाद

(2)

7-प्रस्तावित रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) निर्मित किये जाने तथा उपरोक्तानुसार प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं-के व्यवस्थापन किये जाने के उपरान्त रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) आरम्भ करने से पूर्व स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन प्रस्तावित रिटेल आउटलेट(पेट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, अन्यथा की स्थिति में निर्गत किया जा रहा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।


(विभागीय अधिकारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन विभाग
मुरादाबाद

प्रतिलिपि:- प्रभारी अग्निशमन केन्द्र रामपुर को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु।